



भारत सरकार  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ



Ministry of Environment, Forest & Climate Change  
Integrated Regional Office, Lucknow

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ-226024  
Kendriya Bhawan, 5<sup>th</sup> Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax-2326696  
Email: roc.lko-mef@nic.in

पत्र सं० 8बी/यू0पी0/06/32/2023/एफ0सी0/972

दिनांक: 24.03.2023

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,  
बापू भवन, उत्तर प्रदेश शासन  
लखनऊ।

**ONLINE PROPOSAL NO: FP/UP/Road/153349/2022**

**विषय :** जनपद कौशाम्बी में राष्ट्रीय मार्ग खण्ड लोक निर्माण विभाग द्वारा किमी 49.155 से किमी 74.700 तक (सिगरौर उपरहार से बरनपुर कादीपुर इचौली) पर हाईब्रिड वार्षिक मोड पर कास कर रहे एन0एच0-731ए जिला कौशाम्बी में प्रस्तावित 4 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे के निर्माण में प्रभावित 15.461 हे संरक्षित वनभूमि के गैर-वानिकी प्रयोग एवं बाधक 51 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बंध में।

सन्दर्भ:- सचिव (वन), उ0प्र0 का पत्रांक पी-43/81-2-2023-800(34)/2023, दिनांक 01.03.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन(संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति माँगी है।

प्रश्नगत प्रकरण के परीक्षणोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना/जानकारी इस कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए, ताकि प्रकरण में आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके:-

1. It is not clear from the proposal that what is the status of widening before and after proposed alignment. This needs clarification.
2. As per .kml file some parts of road side PF are not demarcated and included as forest. This needs rectification.
3. Single SOI toposheet has been uploaded on Parivesh portal. Adjacent 63G/6 toposheet also needs to be uploaded.
4. As per Google earth imageries dated 02.02.2022, partial planation activity (old pits) are observed on the proposed CA land. Thus, alternate area needs to be proposed for CA.
5. Details of existing ROW, proposed ROW and land width (ROW) availability of roadside plantation needs to be submitted and accordingly plantation scheme for roadside plantation needs to be submitted.
6. NOCs from concerned department needs to be submitted.
7. When was the existing road constructed, related documents needs to be submitted.

भवदीया,

(डॉ० प्राची गंगवार)  
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

**प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):**

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0।
3. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, कौशाम्बी।
4. अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग, प्रयागराज।
5. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

(डॉ० प्राची गंगवार)  
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)